

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग--2

संख्या 746/XXX (2)/2004-55(42)/2004

देहरादून, 14 जून, 2004

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, राज्य में अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वर्गों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004

भाग-एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. सेवा नियमावली का लागू होना--(1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों से निम्न निम्नवत् श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हो) नियंत्रित होगी, किन्तु इसके द्वारा उत्तरांचल सचिवालय, राज्य विधानमण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर और अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान के पद नियंत्रित नहीं होंगे।

(2) ऐसे लिपिक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

3. अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव--इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमावली के बीच के असंगति होने की दशा में--

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिमावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों; और

(दो) विशिष्ट नियमों के उपबन्ध उस दशा में अभिमावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें।

4. परिभाषाएँ--जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में--

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय पद के सम्बन्ध में प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है;

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(ङ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है;

(च) "कार्यालय अध्यक्ष" का तात्पर्य किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपट्टी अधिकारी से है;

(छ) "लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग" का तात्पर्य अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से होगा।

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत पराचल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिबक्ता, उत्तरांचल के कार्यालय और महाधिबक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान भी हैं।

(अ) "छटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है-

(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिवृत्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

किन्तु, इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है;

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि है।

5. सेवा की सदस्य संख्या-किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये:

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल से अस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

परन्तु, यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय-समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाये।

भाग-दो

भर्ती

6. भर्ती का स्रोत-किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में भर्ती नियम में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन सन्धि के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी, किन्तु, किसी विशिष्ट अधीनस्थ कार्यालय में 25 प्रतिशत रिक्तिगत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार, उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 5 प्रतिशत जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती है।

भाग-तीन

अर्हताएं

7. आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य-श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समक प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही निम्नता की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रियता-इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, चीन या किसी पूर्वी अफ्रीका देश-केन्या, उगाण्डा या मून इटैड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तान्जानिया और जजीबार) में प्रवेश किया हो।

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अम्बर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पत्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु, यह और कि श्रेणी (ख) के अम्बर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तरांचल से पत्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अम्बर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पत्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अम्बर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी—ऐसे अम्बर्थी को जिसके मामले में पत्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. शैक्षिक अर्हताएं—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अम्बर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरांचल की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

10. अधिमानी अर्हता—अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अम्बर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

✓(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

✓(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो;

✓(तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

11. आयु—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अम्बर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अम्बर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

12. भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिये छूट—भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुये, मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

13. घरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अम्बर्थी का घरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदव्युत्त व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रारिथति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अम्बर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अम्बर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. शारीरिक स्वस्थता—किसी भी अम्बर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों

का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूलनियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

भाग--चार

भर्ती की प्रक्रिया

16. एक जिले में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती एक ही साथ होगी—एक जिले में, समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती समूह "ग" के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एक ही साथ की जायेगी।

17. चयन समिति का गठन—किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी;

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई एक अधिकारी;

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि उसके विमाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो ऐसे उपयुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

18. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी—इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो, किया जायेगा।

19. चयन का आधार—चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्यतः अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। तदनुसार सेवायोजन अधिकारी अभ्यर्थियों के नाम भेजते समय, अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों विशेष रूप से, नियम 6 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखेगा।

20. सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की सूचना भेजना—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान मरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-7 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराया हो आवेदन-पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी सूचना पट्ट पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

21. चयन प्रक्रिया—विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" के पदों के लिये चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2003 में विहित की गयी हो।

22. फीस—चयन के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो राज्यपाल द्वारा समय-समय पर विहित की जाये। फीस की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भाग--पांच

नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

23. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति—नियम 23 के उपनियम (6) और (7) में निर्दिष्ट चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

24. परीक्षा—(1) जहाँ किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों से अन्यथा उपबन्धित हो, उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में, किसी स्थायी रिक्ति में, किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु, यह और कि परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिये परीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

25. स्थायीकरण—किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को, यथारिथित, परीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाये, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

26. ज्येष्ठता—(1) एतदपश्चात् यथाउपबन्धित के सिवाय इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु, यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु, सीधे भर्ती किया गया कोई अन्यर्था अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग—छः

वेतन इत्यादि

27. वेतनमान—(1) विभाग/कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों, या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रु० है।

28. परीक्षा अवधि में वेतन—(i) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी वेतनवृद्धि तमी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि तमी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो :

परन्तु, यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु, यदि सन्तोष न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—सात

अन्य उपबन्ध

29. पक्ष समर्थन—पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अम्यर्थी की ओर से, अपनी अम्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

30. अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

31. सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

32. व्यावृत्ति—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।